

लय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधि

अलवर [राज०]

क्रम	हुक्म या कार्यवाही	
6	<p>पत्तापत्ती कैम्पकोट अरेरोड पेश ५४ / अतिनाथक अपीलानु उपर / अधिकृत न्यायालय के निर्णय का अन्वेषण किया गया / अधिकृत न्यायालय द्वारा पुर्णतः पत्त अन्वेषण चार २।२२० A के तहत अन्वेषण का कार्य निष्पत्ति परी की गयी है। इस अन्वेषण को देखते कि यह अपील न्यायालय द्वारा ही पेश की गयी है। भारतीय राजस्व मण्डल राजस्व, अन्वेषण के द्वारा राजस्व के क्षेत्र में यह भी निष्पत्ति किया है कि अन्वेषण को देखते कि यह कोई अपील करने योग्य नहीं है। इसे राज्य के अतिनाथक अपीलानु भी सहमत है।</p> <p>आतः अपील अपीलानु इसी त्वा पर (कोई कल तत्त न्यायालय उपायउपाय) को अरेरोड की निष्पत्ति पर जाने है कि को पक्ष को सुनकर उपाय को उपाय में निष्पत्ति करे पत्तापत्ती क्षेत्र शुभार होकर नवल से कर की जाकर अपील अपील को कल दाखल की जाये।</p>	